

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): STATE VIGILANCE AND ANTI- P.S. (थाना): SOLAN Year (वर्ष): 2020
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0005 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 05/10/2020 11:41 hrs

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	HP PREVENTION OF SPECIFIC CORRUPT PRACTICES ACT, 1983	33
2	IPC 1860	420
3	IPC 1860	468
4	IPC 1860	471
5	IPC 1860	409
6	IPC 1860	120-B

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन): Date From (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 05/10/2020 Time (समय): 00:00 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 004 Date & Time (दिनांक और समय): 05/10/2020 11:23 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
Name of P.S. (थाना का नाम): District(State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): Insp. Kamal Dutt
(b) Father's/Husband's Name (पिता / पति का नाम):
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1965 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.): Date of Issue (जारी करने की तिथि):
Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No. (क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	Solan, SOLAN, HIMACHAL PRADESH, INDIA
2	Permanent Address	Solan, SOLAN, HIMACHAL PRADESH, INDIA

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No.(क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	Unknown1			

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No.(क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
1	OTHERS	OTHER CONVEYANCE		0.00

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में): 0.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.(क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
----------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

इस समय निरीक्षक कमल दत्त शर्मा के एक दरखास्त मय जाँच रिपोर्ट, Source Report संख्या SVACB(R-/SR-HQ)/Comp. (SLN) 24/2016 -3595 दिनांक 19-05-2016 बराये कायमी मुकदमा पेश की जिसका मजबूत जैल है। सेवा में, प्रभारी, थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो सोलन जिला सोलन हि0प्र0। विषय: Source Report संख्या SVACB(R-/SR-HQ)/Comp.(SLN) 24/2016 -3595 दिनांक 19-05-2016 में अभियोग पंजीकृत करने हेतु। महोदय, उपरोक्त Source Report की जांच अधोहस्ताक्षरी द्वारा की गयी जिसमें आरोप थे कि श्री देवेन्द्र कालिया पिछले 10 वर्षों से ग्राम पंचायत चमयावल में बतौर सचिव कार्यरत है जो अपनी नौकरी न कर अपने निजी कार्य / कारोबार में व्यस्त रहता है और पंचायत का कार्य सचिव दिला राम से करवाता है। जांच से पाया गया कि देवेन्द्र कालिया 26-12-1996 को पंचायत सचिव के पद पर नियुक्त हुआ वर्ष 1996 से वर्ष 2009 तक विकास खण्ड नालागढ़, धर्मपुर के अन्तर्गत तैनात रहा। वर्ष 2009 से 2015 तक ग्राम पंचायत चमयावल में बतौर सचिव कार्यरत रहा। निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग (हि0प्र0) के आदेश संख्या आर0डी0डी0-11बी0(6)2013/सोलन-3785-87 दिनांक 19-10-2016 को इसका स्थानांतरण ग्राम पंचायत दधोगी विकास खण्ड, कुनिहार को हुआ। दिनांक 24-10-2016 से 26-04-2018 तक ग्राम पंचायत दधोगी में तैनात रहा। विकास खण्ड अधिकारी, कुनिहार ने अपने आदेश सं0 3784 दिनांक 26-04-2018 जारी करके देवेन्द्र कालिया को विकास खण्ड कार्यालय, कुनिहार में आगामी आदेशों तक कार्य करने के आदेश किये व इस आदेश की प्रतिलिपि केवल पंचायत सचिव देवेन्द्र कालिया व दिला राम तथा प्रधान ग्राम पंचायत दधोगी को दी गई परन्तु जिला परिषद, सोलन व अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, सोलन को नहीं दी गई तथा ग्राम पंचायत दधोगी का अतिरिक्त कार्यभार दिला राम सचिव को दिया जो कि जिला अतिरिक्त दंडाधिकारी सोलन / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सोलन के आदेश संख्या SLN-ZP/(6)PT(PS) 2014-3805-13 दिनांक 12.09.2018 के अनुसार ग्राम पंचायत कोठी (अतिरिक्त कार्यभार ग्राम पंचायत पलानिया) में तैनात है। खण्ड विकास कार्यालय, कुनिहार ने पत्र संख्या 1481 दिनांक 04-05-2020 के माध्यम से जो सूचना जिला परिषद, सोलन को पंचायत सचिवों की तैनाती से सम्बन्धित भेजी गई उसमें सचिव देवेन्द्र कालिया की तैनाती ग्राम पंचायत दधोगी में ही दिखाई गई जबकि इसको अपने आदेश द्वारा विकास खण्ड कार्यालय, कुनिहार में तैनात कर रखा था। खण्ड विकास अधिकारी, कुनिहार के कार्यालय के कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर अप्रैल 2018 से जून 2020 तक के अवलोकन पर पाया गया कि कार्यालय में तैनात 20/21 कर्मचारियों के नाम व पद इस अवधि में क्रम संख्या 1 से 20 तक एक कार्यालय अधीक्षक व कार्यालय के चिन्हित कर्मचारी द्वारा लिखे गये हैं परन्तु देवेन्द्र कालिया ने अपना नाम उपस्थिति रजिस्टरों पर सबसे अन्त में खुद लिखा और इस पूरी अवधि में एक ही दिन अपनी उपस्थिति दर्ज की है। उपस्थिति रजिस्टर में कई जगह तालिका से बाहर हाजरियाँ लगाई गई हैं। उपस्थिति के बारा संदेह होने पर उपरोक्त अवधि में खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, कुनिहार में तैनात रहे तत्कालीन कार्यालय अधीक्षक, सतपाल व रमेश के ब्यान कलमबंद किये गये। रमेश चन्द ने अपने ब्यान में बतलाया कि दिनांक 09-07-2020 को थाना सतर्कता सोलन द्वारा कार्यालय उपस्थिति रजिस्टर की प्रमाणित छायाप्रति मांगी गई थी। इसलिये देवेन्द्र कालिया ने उपरोक्त उपस्थिति रजिस्टरों में जुलाई 2020 के दूसरे सप्ताह में (तिथि याद नहीं) स्वयं एक ही दिन सभी जगह अपनी उपस्थिति रजिस्टर में अंकित की है। सतपाल ने अपने ब्यान में बतलाया कि यह दि0 31-08-2018 से जून 2020 तक विकास खण्ड कार्यालय, कुनिहार में अधीक्षक के पद पर तैनात रहा है। इस अवधि में देवेन्द्र कालिया अपने निजी काम के अतिरिक्त खण्ड विकास कार्यालय, कुनिहार में तैनात नहीं रहा है और न ही किसी सीट पर कार्य किया है। इस प्रकार सचिव देवेन्द्र कालिया ने अपनी उपस्थिति गलत तरीके से कार्यालय उपस्थिति रजिस्टर में अंकित करके अप्रैल 2018 से जुलाई 2020 तक 29 माह का वेतन बिना कोई सरकारी कार्य किये लगभग मुबलक 12,55,090/- रु0 सरकारी धन का गवन किया है। इस सरकारी धन के गवन में विकास खण्ड अधिकारी, श्री विवेक पाल ने जान-बूझ कर गलत उपस्थिति रिकार्ड तैयार करने में मदद की तथा स्वयं गलत जानकारी / गलत सत्यापित रिकार्ड धोखा देने की नीयत से सतर्कता विभाग को प्रेषित किया। सचिव देवेन्द्र कालिया व श्री विवेक पाल, खण्ड विकास अधिकारी, कुनिहार का उपरोक्त कृत्य प्रथम दृष्टा धारा 420, 468, 471, 409, 120B भा0द0स0 व धारा 33 The HP Prevention of Specific corrupt Practice Act. का अपराध स्पष्ट तौर पर किया जाना साबित हुआ है। सतर्कता मुख्यालय के आदेश सं0 SVACB(R/S R-HQ)/Comp.(SLN) 24/2016-16438 dated 24-09-2020 के अनुसार अभियोग पंजीकृत करने के आदेश प्राप्त हुए हैं। अतः अभियोग पंजीकृत किया जाए। संलग्न : जाँच रिपोर्ट फाईल 173 पृष्ठ Sd (कमल दत्त) निरीक्षक / जाँच अधिकारी थाना राज्य सतर्कता, एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो, सोलन जिला सोलन हि0प्र0। कार्यवाही पुलिस जिस पर अभियोग संख्या 05/20 दिनांक 05.10.2020 जुर्रम जेर धारा 420,468,471,409,120B IPC व धारा 33 The H.P Prevention of specific corrupt practice Act पंजीकृत थाना किया गया। मिसल मुकदमा आगामी तपतीश हेतु नि0 हस राज को दी जा रही है। छायाप्रति FIR माननीय अदालत को अलग से भेजी जा रही है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।)

(1) Registered the case and took up the investigation:

(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):

Hans Raj

Rank (पद): I (Inspector)

No.(सं.): 61984

to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Santosh Kumar Sharma

Rank(पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No.(सं.): NA

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद से.मी.)	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1						Poxpitted: NO
Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)	
8	9	10	11	12	13	
Language /Dialect (भाषा/बोली)	Place Of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)